रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022023-243509
CG-DL-E-07022023-243509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944
No. 585] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2023

आय-कर

का.आ. 614(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 168 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 167 के अधीन प्रस्तुत विवरण के प्रसंस्करण हेतु निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम केंद्रीयकृत समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण स्कीम, 2023 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं :- इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो इसका आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 288 की उप-धारा (2) में है;

(ग) "केंद्र" से केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र जो विवरणियों की केंद्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम, 2011 के पैरा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट है, अभिप्रेत है;

(घ) "आयुक्त" से आयकर आयुक्त, केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, जो विवरणियों की केंद्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम, 2011 के पैरा 2 के खंड (घ) में निर्दिष्ट है, अभिप्रेत है;

(ङ) "अभिहित पोर्टल" से ऐसा वैब पोर्टल अभिप्रेत है, जो यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक(प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इस प्रकार अभिहित किया जाए ;

(च) "महानिदेशक" से यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक(प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) अभिप्रेत है;

(छ) "नियम" से समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016 अभिप्रेत है;

(ज) "ई-मेल" से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर स्रोत या सूचना युक्ति पर सृजित या प्रेषित या प्राप्त कोई संदेश या जानकारी, जिसके अंतर्गत पाठ, चित्र, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के रुप में संलग्नक भी है जिसे संदेश के साथ पारेषित किया जाए, अभिप्रेत है,;

(झ) "समकरण उद्ग्रहण विवरण" से अधिनियम की धारा 167 के अधीन प्रस्तुत किया गया विवरण अभिप्रेत है;

(ञ) निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक के "रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक लेखा" से अभिहित पोर्टल पर निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग लेखा अभिप्रेत है;

(ट) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम के अध्याय VIII के अधीन परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अध्याय में हैं ।

3. स्कीम का क्षेत्र – यह स्कीम समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण के संबंध में लागू होगी ।

4. समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत करना – (1) प्रत्येक निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक, इन नियमों के नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन विहित समय के भीतर अधिनियम की धारा 167 की उप-धारा (1) के अधीन समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(2) कोई निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक उस वित्तीय वर्ष, जिसमें विनिर्दिष्ट सेवाएं दी गई थीं या ई-वाणिज्य प्रदाय या सेवाएं दी गईं या उपलब्ध कराई गईं या सुकर की गईं, के अंत से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति समकरण उद्ग्रहण विवरण या पुनरीक्षित समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) कोई निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक किसी नोटिस, जो नियमों के नियम 6 के अनुसार अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (3) के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा भेजा जाए, के प्रत्युत्तर में समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत कर सकेगा ।

5. अविधिमान्य समकरण उद्ग्रहण विवरण – आयुक्त,

(i) महानिदेशक द्वारा अननुमोदित और किसी अविधिमान्य साफ्टवेयर प्रयोग के लिए प्रक्रिया का अननुपालन करने ; या

(ii) समकरण उद्ग्रहण विवरण में अधूरी जानकारी के कारण, किसी समकरण उद्ग्रहण विवरण को अविधिमान्य घोषित कर सकेगा।

6. समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण– (1) केंद्र, किसी विधिमान्य समकरण उद्ग्रहण विवरण का निम्न रीति में प्रसंस्करण करेगा, अर्थात् :-

(क) समकरण उद्ग्रहण विवरण में किसी अंकगणितीय त्रुटि का समायोजन करने के पश्चात् समकरण उद्ग्रहण संगणित किया जाएगा;

(ख) समकरण उद्ग्रहण विवरण में यथा संगणित, यथास्थिति कटौती योग्य या संदेय राशि के आधार पर ब्याज, यदि कोई हो, संगणित किया जाएगा;

(ग) निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम का अवधारण खंड (ख) के अधीन संगणित रकम का अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (2) या अधिनियम की धारा 166क या धारा 170 के अधीन संदत्त रकम और कर या ब्याज के माध्यम से अन्यथा संदत्त रकम से समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा ;

(घ) खंड (ग) के अधीन निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा संदेय अवधारित राशि को या उसे देय प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, उस वित्तीय वर्ष जिसमें समकरण उद्ग्रहण विवरण या पुनरीक्षित समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत किया गया है, के अंत से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई सूचना तैयार या सृजित नहीं की जाएगी और न ही निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक को भेजी जाएगी; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक को देय प्रतिदाय की रकम उसे अनुदत्त की जाएगी ।

(2) जहां कोई पुनरीक्षित समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रस्तुत किया जाता है वहां केंद्र केवल पुनरीक्षित समकरण उद्ग्रहण विवरण का प्रसंस्करण करेगा और मूल समकरण उद्ग्रहण विवरण पर यदि पहले से ही कोई प्रसंस्करण न किया गया हो तो, आगे कोई कार्रवाई न की जाएगी ।

(3) आयुक्त, -

(क) समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण के लिए समुचित प्रक्रिया अंगीकार कर सकेगा; या

(ख) प्रशासनिक अपेक्षाओं के आधार पर समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण के लिए पूर्विकता अनुक्रम विनिश्चित कर सकेगा ।

(4) निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक, अधिनियम की धारा 168 के अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन करने के लिए, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जिसमें उस सूचना को जारी किया गया था जिसका संशोधन करने की ईप्सा की गई है, एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(5) जब कभी किन्हीं कारणों से किसी समकरण उद्ग्रहण विवरण को केंद्र द्वारा प्रसंस्कृत नहीं किया जाता है तो आयुक्त अधिनियम के अध्याय VIII के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक के संबंध में अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी विवरणी पारेषित करने की व्यवस्था करेगा ।

(6) समकरण उद्ग्रहण विवरण के प्रसंस्करण में त्रुटि की दशा में, आंकड़ा प्रविष्टि में त्रुटि या किसी साफ्टवेयर त्रुटि या अन्यथा के कारण, जिसके परिणामस्वरुप अधिक प्रतिदाय संगणित किया जा रहा है या कर की मांग में कटौती अधिक की जा रही है तो उसे केंद्र द्वारा सुधार आदेश पारित करके स्वत: ही ठीक किया जाएगा और अतिरिक्त रकम की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 229 और धारा 232 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(7) जहां निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा अधिनियम के अध्याय VIII के अधीन कोई राशि संदेय हो, वहां प्रतिदाय, यदि कोई हो, समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण से उत्पन्न होने वाली रकम को ऐसी संदेय रकम से मुजरा किया जाएगा।

7. केंद्रों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होना– (1) किसी निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक से व्यक्तिगत रुप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में केंद्र के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) इस संबंध में केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारुप में ऐसे व्यक्ति या प्राधिकृत प्रतिनिधि से लिखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना, केंद्र से प्राप्त पृच्छा या स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त अनुपालना होगी ।

(3) केंद्र, ऐसे स्पष्टीकरण, साक्ष्य या दस्तावेज जो समकरण उद्ग्रहण विवरण को के सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, मंगा सकेगा और ऐसे सभी स्पष्टीकरण, साक्ष्य या दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रुप से प्रस्तुत किए जाएंगे ।

8. सूचना या संसूचना की तामील – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक सूचना, नोटिस या कोई अन्य संसूचना केंद्र से निर्धारिती या ई-वाणिज्य प्रचालक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को निम्न प्रकार दी जाएगी, --

(i) केंद्र की ई-मेल द्वारा इसे व्यक्ति को इसकी प्रति परिदान करके या इलैक्ट्रानिक रुप से पारेषण करके;

(ii) अभिहित पोर्टल पर व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक लेखे में इसकी प्रति रख कर; या

(iii) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 282 की उपधारा (1) में उल्लिखित ढंगों में से किसी के द्वारा ।

(ख) संसूचना, आदेश और सूचनाएँ कंप्यूटर द्वारा सृजित की जाएंगी और उसे व्यक्ति के वास्तविक हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

9. प्रक्रिया और प्रसंस्करण विनिर्दिष्ट करने की शक्ति – महानिदेशक, स्वत: यांत्रिक वातावरण में, बोर्ड के अनुमोदन से, समय-समय पर इस स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यकरण के लिए प्रक्रियाएं और प्रसंस्करण विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्रक्रिया और प्रसंस्करण विनिर्दिष्ट करना भी है,-

(i) समकरण उद्ग्रहण विवरण प्रसंस्करण;

(ii) विवरण ई-फाइलिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई साफ्टवेयर विधिमान्य करना;

(iii) केंद्रों को पृच्छा का उत्तर देने के लिए जानकारी मांगना और इसे कर दाता सेवाओं को प्रदान करना जिसमें निर्धारती या ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा उनके विवरण के प्रसंस्करण में सहायता के लिए स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया जाता है; और

(iv) प्राप्ति, स्कैनिंग, डाटा प्रविष्टि, प्रसंस्करण, प्रतिदाय जारी करना, विवरणों के भंडारण और पुनर्प्राप्ति तथा केंद्रीयकृत रीति में दस्तावेजों की प्राप्ति जैसे कृत्यों पर समकरण उद्ग्रहण प्रशासन का प्रबंध करना ।

[अधिसूचना सं. 03/2023/फा.सं. 370142/01/2023-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक